(11)

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

विजय महतो
बनाम
गिरिजाशंकर साहु वगै0

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 03/2013–14

वाद का प्रकार :– रेवेन्यु रिवीजन अपील वाद (Revision Appeal)

अपीलार्थी श्री विजय महतो , पिता – स्व0 बहुरा महतो मौजा– पलकोट, गांधीनगर थाना–पालकोट जिला – गुमला द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0 – 20/2011–12 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने व उनके अपील को स्वीकृत करने के निमित्त अपील किया गया है।

उक्त अपील के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख मंगायी गई तथा इस वाद के संबंधित वादीगणों को नोटिस कर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

इस वाद का मुख्य केन्द्र बिन्दू, मौजा – पालकोट के थाना – पालकोट के निम्नांकित भूमि से है, जिसे अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी का खतियानी रैयती जमीन अन्दर खाता नं0–383 प्लॉट नं0–4370 कुल रकबा 0.89 एकड़ में से उत्तरवादी संख्या–01 के नाम से 0.10 एकड़,विपक्षी संख्या–02 के नाम से 0.05 एकड़ तथा विपक्षी संख्या–03 के नाम से 0.05 एकड़ जमीन को गैरकानूनी ढंग से तथा विधि के विरुद्व दाखिल–खारिज वाद संख्या 50 आर 27 /2007–08, दाखिल खारिज वाद संख्या 52 आर 27/2007–08 तथा दाखिल खारिज वाद संख्या 51 आर 27 /2007–08 कमशः मे पारित आदेश दिनांक 18.07.2007 के विरुद्व अपीलार्थी के द्वारा जानकारी हासिल होनें के उपरान्त दाखिल – खारिज अपील संख्या –20/2011–12 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय में दायर किया गया था, जिसको निम्न न्यायालय द्वारा मूल भूत सिद्वान्तों पर विचार किये ही गलत ढंग से खारिज कर दिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्य अधिवक्ताओं को न्यायालय के समक्ष किए गए बहस उपरांत लिखित बहस, Ruling & documents के साथ प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

अपीलार्थी को इस वाद में प्रर्याप्त समय एवं अंतिम नोटिस देने के वावजूद भी लगातार अनुपस्थित रहे, जिससे उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

उत्तरवादी के विद्य अधिवक्ता से भी प्रश्नगत वाद से संबंधित Written Argument प्राप्त है, जिसके अनुसार – प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत डुन्डु कुम्हार, जगरनाथ कुम्हार एवं रमेश कुम्हार पिता– गंगा कुम्हार के नाम दर्ज है। उत्तरवादी का कहना है कि खाता नं0–383 प्लॉट नं0–4370 रकबा 0.05 एकड़ दिलीप कुमार साहु, 0.05 एकड़,रविन्द्र ओहदार, 0.10 एकड़, गिरजा शंकर साहु को घनेश कुम्हार पिता–स्व0 जगरनाथ कुम्हार से 26.02.2007 में दिलीप कुमार साहु एवं रविन्द्र ओहदार एवं गिरजा शंकर साहु को बैला कलामी बिक्री खरीद किया है तथा प्रश्नगत भूमि पर दखलकार होकर वर्ष –2007 में ही दाखिल खारिज कराकर हर साल सरकार को मालगुजारी रसीद देते आ रहे हैं। उत्तरवादीगण खतियानी रैयत स्व0 जगरनाथ कुम्हार के पुत्र घनेश कुम्हार से उनके हिस्से एवं दखल का जमीन खरीद किया है। प्लॉट

Scanned with CamScanner

नं0–4370 में जगरनाथ कुम्हार का 1/3 हिस्सा है यानि 0.29 एकड़ जमीन स्व0 घनेश कुम्हार का है। इस प्रकार धनेश कुम्हार अपना हिस्सा का जमीन जो उसके दखल में था बिकी किया है। बिकी के पश्चात् संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल –खारिज किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में एम 216/11 144 सी0आरपी0सी0 के तहत् मुकदमा चला था, जिसमें उत्तरवादी गिरजाशंकर साहु के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

यह कि विजय कुम्हार वो गणेश कुम्हार के हिस्से की जमीन से सरोकार या बटवारा में कोई विवाद होता तो पट्टा तोड़ने के लिये सक्ष्म न्यायालय का शरण लेते। लेकिन गणेश कुम्हार, बहुरा कुम्हार एवं विजय कुम्हार कभी भी बंटवारा को चैलेज नहीं किया है न ही बिकी पट्टा को चैलेंज किया गया है। यह कि विजय कुम्हार के अपने हिस्से की जमीन की बिकी पूर्व में कर चुके हैं। जिसमें घनेश कुम्हार कभी आपत्ति नहीं की है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी, पालाकोट एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला द्वारा पारित आदेश बिलकुल ही जायज एवं न्यायसंगत है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के Written Argument के साथ निम्नांकित कागजात भी संलग्न है :–

1 वाद संख्या नं0– 216/2011 का आवेदन दिनांक 29.09.2011 एवं वाद पत्र का सच्ची प्रतिलिपि का छायाप्रति।

2 रजिष्ट्री पट्टा नं0– 506 की छायाप्रति एवं माल गुजारी रसीद तथा करेक्शन सिलिप का छायाप्रति।

3 रजिष्ट्री पट्टा सं0– 507 का सरकारी माल गुजारी रसीद एवं करेक्शन सिलिप का छाया प्रति।

4 रजिष्ट्री पट्टा रवीन्द्र ओहदार का की छायाप्रति एवं करेक्शन सिलिप का छायाप्रति।

अपीलार्थी को प्रर्याप्त समय देने के वावजूद भी न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहें, जिससे उनका पक्ष को नहीं सुना गया। : निम्न न्यायालय के पारित आदेश व उत्तरवादी के प्रस्तुत तर्कों के सम्यक अवलोकन एवं समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि घनेश कुम्हार खतियानी रैयत का वारिश है तथा अपने हिस्से की भूमि को बिकी किये हैं। विवादित भूमि पर उत्तरवादीगण का दखल कब्जा है।

अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश को सही व विधिसम्मत मानते हुए अपीलार्थी के अपील को खारीज किया जाता है। कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता गुमला को वापस भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner